राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–4420/2022

डॉ. अल्का मित्तल

–अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग एवं पंचायतीराज (चिकित्सा) विभाग जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला कोटा।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 04.11.2022

<u>उपस्थित</u>

अपीलार्थी की ओर से : श्री के.एन. शर्मा, अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
मातादीन शर्मा, सदस्य

<u>आदेश</u>

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण), अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए अपील की सुनवाई की जाती है।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि आलोच्य आदेश दिनांक 03.09.2022 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण/पदस्थापन सीडीआईएसपी, कुन्हाडी, कोटा से सीएचसी, छीपाबडोद, बारां में किया गया है एवं अपीलार्थी के स्थान पर अन्य कार्मिक का पदस्थापन नहीं किया गया है।
3. उनका तर्क है कि अपीलार्थी कैंसर जैसे गंभीर रोग से पीडित है, जिसका निरन्तर उपचार चल रहा है, जो अनुलग्नक–2 से स्पष्ट है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण छीपा बडोद, बारां में किया गया है, जहां पर कैंसर रोग के उपचार की उचित सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया जाना उचित नहीं है। अतः उक्त आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 03.09.2022 (अनुलग्नक–1) को अपीलार्थी के संबंध में अपास्त किया जावे।

4. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी, जिसमें उन्होंने अपने अभिवचनों की पुनरावृति की। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का परिशीलन कर मनन किया गया।

5. प्रकरण के तथ्यों, अभिलेखों एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी वरिष्ठ विशेषज्ञ के पद पर कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 03.09.2022 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण सीएचसी, छीपाबडोद, बारां में किया गया है, जबकि अपीलार्थी कैंसर रोग से पीडित है। अतः उक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 15 दिवस की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित आधारों पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी दो सप्ताह की अवधि में एक आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दें। उक्तानुसार अपीलार्थी के अभ्यावेदन को सक्षम प्राधिकारी के द्वारा निस्तारित किये जाने तक प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आलोच्य आदेश दिनांक 03.09.2022 (अनुलग्नक–1) का क्रियान्वयन (Operation) अपीलार्थी के सम्बन्ध में स्थगित किया जाता है। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।

6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(मातादीन शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

R